

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

रामेश्वर सिंह पि0मु0 हजारी सिंह जाति राजपूत निवासी जगता की ढाणी तन गिगलाना तह0 नीमराना

बनाम

सुरजी स्त्री सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी जगता की ढाणी तन गिगलाना तह0 नीमराना


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 244

सन

14.12.2016


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>14.12.2016 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणके पक्ष में पाया जाता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 559, 562, 563, 567, 578, 600 कुल किता 06 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान में निर्माण नही करे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते रजिस्टर्ड तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 16.02.2017 को पेश हो।</p>	


उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)


44
24

आज पत्रावली के 23-5-24 का पत्र क्र. 12
पीछासीन अधिकाारी कम्प्लेन. V.C.
विषय - पत्रावली के पत्रावली के नमब
काम के 23-5-24 का पत्र क्र. 12

23-5-24 आज पत्रावली मूल वाद के साथ पेश
हूँ। क्वील अपीरिण उप.। धर्वे क्रॉक 14-12-246
में अपाथरिण की जर्मे रजिस्टर्ड तलबी उवत तलबी
वावत उवत आदेशो की पलना नही की गई।
आपहित में पुनः आन्तिम अवसर दिया जाकर
आवश्यक रूप से अपाथरिण की पूवानुसार
रजि. र. डी. की तलबी हेतु तलवाना आज ही
पेश करे। तलबी उवतानुसार नही भराने जावेकी
रिवाजे में आगामी नियत तिथि को प्रकरण अदम
अदालती अनुपालना तलबी बाक आदेश 9
विषय 5 के तहत खरीज कर दिया जावेगा। पत्रा.
वाद तलबी दिनांक 9-7-24 को पेश हो।


उपस्थंड अधिकारी
नौबसना (कोल्हाली-करोड़)

9-7-24 आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश
हूँ। पत्रा. में मूल वाद अफम पेश की अफम हाजरी
में खरीज हो चुका है। अतः आ. पत्र भी अफम के त
अफम हाजरी में खरीज किया जाता है। पत्रा. पेशाल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाक इति संलग्न मूल वाद रहे।


उपस्थंड अधिकारी